

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/4423 /

जबलपुर, दिनांक 03/10/2019

II-13-29/19

स्व. श्री सचिन व्यास, कोर्ट अटेंडेन्ट, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने पर चिकित्सीय उपचार पश्चात् दिनांक 30.07.19 को उनकी मृत्यु हो जाने से उनके कार्य काल में दिनांक 23.02.2019 से 30.07.2019 तक 158 दिन का अर्जित अवकाश के संबंध में उनकी पत्नी श्रीमती करुणा व्यास द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र को स्वीकृत किया जाता है।

सही/-

(प्रियदर्शन शर्मा)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/4424 /

जबलपुर, दिनांक 03/10/2019

II-13-29/19

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक अवकाश/1608 इंदौर, दिनांक 27/08/2019 के संदर्भ में स्व. श्री सचिन व्यास, कोर्ट अटेंडेन्ट की पत्नि श्रीमती करुणा व्यास के द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
2. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(किशोर पिठवे)

ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) (पी)

h
